न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी–श्री जगदीश सिंह आशिया, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 21/2025

प्रार्थीगण

1. कंवराराम पुत्र चुतराराम उम्र 38 वर्ष जाति जाट निवासी नाकोड़ा तहसील सिणधरी जिला बालोतरा
2. मंगलसिंह पुत्र चिमनसिंह उम्र 90 वर्ष
3. मलसिंह पुत्र दीपसिंह उम्र 35 वर्ष
4. समदूकंवर पत्नि दीपसिंह उम्र 65 वर्ष जातियान राजपूत निवासी नाकोड़ा तहसील सिणधरी जिला बालोतरा

बनाम

विप्रार्थीगण

1. मुकनसिंह पुत्र मेहरसिंह उम्र 60 वर्ष
2. मांगीकंवर पत्नि मेहरसिंह उम्र 80 वर्ष
3. माधुसिंह पुत्र मेहरसिंह उम्र 58 वर्ष
4. सांगसिंह पुत्र मेहरसिंह उम्र 55 वर्ष
5. हडमतसिंह पुत्र मेहरसिंह उम्र 52 वर्ष
6. अमरसिंह पुत्र तेजसिंह
7. मगसिंह पुत्र तेजसिंह
8. मसरसिंह पुत्र तेजसिंह
9. मथरा पत्नी तेजसिंह
जातियान वजीर निवासी नाकोडा तहसील सिणधरी जिला बालोतरा
10. कान्ताकंवर पत्नि पेंपसिंहजाति राजपूत निवासी नाकोड़ा
11. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 (वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति–

1. श्री भंवरलाल सारण, अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. विप्रार्थीगण एकतरफा।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:21:09 IST
Reason: SelfAttested

<u>आदेश</u>

दिनांक–14.05.2025

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण का खेत तहसील सिणधरी पटवार मण्डल सिणधरी के ग्राम नाकोड़ा में खसरा संख्या 424/25 रकबा 11.5768 हैक्टेयर खातेदारी का आया हुआ है। प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

पक्की माते या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी के खेत तहसील सिणधरी पटवार मण्डल सिणधरी के ग्राम नाकोड़ा में खसरा संख्या 424/25 रकबा 11.5768 हैक्टेयर खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2. प्रार्थी का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थी के खेत तहसील सिणधरी पटवार मण्डल सिणधरी के ग्राम नाकोड़ा में खसरा संख्या 424/25 रकबा 11.5768 हैक्टेयर खातेदारी की भूमि आई हुई है। प्रार्थी के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी के खेत तहसील सिणधरी पटवार मण्डल सिणधरी के ग्राम नाकोड़ा में खसरा संख्या 424/25 रकबा 11.5768 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी के आदेश फरमावे जावे।

4.हमनें वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया गया कि तहसील सिणधरी पटवार मण्डल सिणधरी के ग्राम नाकोड़ा में खसरा संख्या 424/25 रकबा 11.5768 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी मय नक्शा खतौनी संवत 2076–2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है,इस प्रकार प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्डड खातेदार है,और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसके प्रार्थीगण हकदार भी है एवं विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामीली के [illegible] हुए है,इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार [illegible] है। यदि कोई आपत्ति होती,तो न्यायालय में उपस्थित होकर [illegible] लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया। ऐसी सूरत [illegible] योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:21:09 IST
Reason: SelfAttested

5. लिहाजा,प्रार्थीगण का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर तहसील सिणधरी पटवार मण्डल सिणधरी के ग्राम नाकोड़ा में खसरा संख्या 424/25 रकबा 11.5768 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त

उपखण्ड ... सिणधरी

किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थी व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 1000/प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 14.05.2025 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:21:09 IST
Reason: SelfAttested